उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्या–128/1–10–2017–33(221)/2011
लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ के पत्र संख्या–64/(iv)/आ0प्र0प्रशि0/2017–18, दिनांक 05.05.2017 द्वारा पंचायती राज विभाग के कार्मिकों एवं प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रू0 89,15,250/– (रूपये नवासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

State/District Level Training and DMC Expenditure

SN	Training	Days	No of Courses	No of Participants in one course	Total No of Participants	Rate	Total Expenditure
1	State Level ToT on "Strengthening PRIs for Mainstreaming DRR in Development"	5	4	30	125 (50 DPRO, 75 RIRD/DIRD Staff)	1500 (Per day per participants NDMA की गाइडलाइन के अनुसार)	937500
2	District Level training on "Strengthening PRIs for Mainstreaming DRR in Development"	4	50	30	1500 (790 ADO (P), 54 ADPRO, 656 Gram Panchayat Adhikari)	1000 (Per day per participants NDMA की गाइडलाइन के अनुसार)	6000000
Total			54		1625		6937500
3	Administrative Expenditure 10%						693750
	Total						7631250
4	Expenditure on DMC						1284000
	Grand Total						**8915250**

Total - Rs. Eighty nine lacs Fifteen thousand Two hundred Fifty only

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज विभाग के कार्मिकों एवं प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आपदा मोचक निधि के कैपिसिटी बिल्डिंग मद से **रू0 89,15,250/– (रूपये नवासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

U.O. LETTER 2017//129

Scanned by CamScanner

3— भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये मार्ग–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4— समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2018 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2018 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

5— उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

6— समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमो की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं0 आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

(संजय कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।
3— महानिदेशक, दी0द0 उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
4— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
6— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
7— वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/राजस्व अनुभाग–6/11
9— परियोजना निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं श्री टी0पी0 गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक (राहत) का इस आशय से प्रेषित कि वे समय–समय पर निरीक्षण कर ट्रेनिंग सुचारू रूप से प्रचलित होने के संबंध में आख्या प्रस्तुत करेंगे।
10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्या– 126 /एक–10–2017–12(34)/03 टी.सी.–1
लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1218/1–10–2017–33(221)/2011 दिनांकः 03.01.2018 द्वारा दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को पंचायती राज विभाग के कार्मिकों एवं प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रू0 89,15,250/– (रूपये नवासी लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 में उल्लिखित लेखाशीर्षक टंकण त्रुटिवश वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' अंकित हो गया है। उक्त लेखाशीर्षक को निम्नवत् पढ़ा जायः–

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय''

3– कार्यालय ज्ञाप संख्या–1218/1–10–2017–33(221)/2011 दिनांकः 03.01.2018 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी, सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।
3– महानिदेशक, दी0द0 उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
4– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5– निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/राजस्व अनुभाग–6/11
9– परियोजना निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं श्री टी0पी0 गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक (राहत) का इस आशय से प्रेषित कि वे समय–समय पर निरीक्षण कर ट्रेनिंग सुचारू रूप से प्रचलित होने के संबंध में आख्या प्रस्तुत करेंगे।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

U.O. LETTER 2017//136

Scanned by CamScanner